

FORM NO. III

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर
उनवान अशोक कुमार व्यास बनाम सरकार जरिये एसएचओ सदर अलवर

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट

प्रा0पत्र नम्बर 15/24/2024 दायर दिनांक 13.02.2024

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा इन्द्रा वी30 रजि0 संख्या आर.जे.-02-जीएस-0637 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना सदर अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी सदर अलवर द्वारा पत्रांक 1637 दिनांक 02.04.2024 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर दिये जाने की अनुसंशा की जाती है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी श्री अशोक कुमार व्यास द्वारा प्रा0पत्र सुपुर्दगी जरिये मुख्यारआम टाटा मोटर्स फाईनेंस लिमिटेड पेश किया गया। पत्रावली पर वाहन का स्वामी कौन है यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। ना ही प्रार्थी द्वारा जप्तशुदा वाहन की आर.सी. की प्रति पेश की गई है। जिससे की जाहिर होता हो कि प्रार्थी ही वाहन का स्वामी है। इस कारण जप्तशुदा वाहन को किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।</p>	

जिला कलक्टर
अलवर